संख्या-3/2023-78/39-4-2023-10(03)/2018

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च, 2023

विषय - उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (मुख्यालय) भवन, लखनऊ में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के रिपेयरिंग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-पी-118/2020 दिनांक 30.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता मुख्यालय भवन में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के रिपेयरिंग के कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0-26.44 लाख मात्र के आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-04-सतर्कता निदेशालय के अन्तर्गत शासनादेश सं0-A039-2022023-001-10-05-2021 दिनांक 11.04.2022 एवं शासनादेश सं0-1097/39-4-2022/001-05-02-2021-TC दिनांक 14.07.2022 द्वारा मानक मद सं0-29-अनुरक्षण में अवमुक्त धनराशि में से रू0-20.05 लाख (रूपये बीस लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि अग्रिम आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

(3) प्रक्योरमेंट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के संबंध में निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउंट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जायेगा।

3- अग्रिम आहरण की धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-2017/दस-2017-10(55)/2017 दिनांक 15.11.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-12-695-X-2022-23 दिनांक 27 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम नगीना मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या-3/2023-78(1)/39-4-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

(4) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

(7) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

राम नगीना मौर्य
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।